

# न्यायालय अपर कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0070/अ-19(3)/2017-18 ग्राम मिर्जापुर

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन विभाग सीहोर

आवेदक

विरुद्ध

सर्व साधारण

अनावेदक

**-संशोधित आदेश:-**

(पारित दिनांक 14/12/2020)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर द्वारा सनकोटा सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 228.960 हेक्टेयर गैर वन भूमि (राजस्व भूमि) वन विभाग को हस्तांतरित करने की मांग की गई थी जिसके संदर्भ में इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 70/अ-19(3)/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2018 द्वारा निम्नानुसार गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की गई है-

| स.क्र. | ग्राम का नाम | भूमि सर्वे नंबर | कुल रकबा (हेक्टेयर में) | नोईयत             |
|--------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 1      | मिर्जापुर    | 1/1/1क          | 22.800                  | जंगल माल पठार     |
| 2      | —            | 14/1            | 3.655                   | निस्तार           |
| 3      | —            | 14/2/1          | 17.116                  | पठार (उबड़ खाबड़) |
| 4      | —            | 14/3            | 2.724                   | पठार (उबड़ खाबड़) |
| 5      | —            | 271/1           | 5.221                   | जंगल              |
| 6      | रूपेटा       | 3/1             | 65.000                  | बड़ा झाड़ का जंगल |
| 7      | —            | 13              | 50.000                  | बड़ा झाड़ का जंगल |
|        |              | योग             | 166.516                 |                   |

2- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर द्वारा अवगत कराया गया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सनकोटा सिंचाई परियोजना को निरस्त कर दिया गया है इसलिये ग्राम मिर्जापुर की वन विभाग को उक्त हस्तांतरित भूमि में से 48.792 हेक्टेयर महादेव बेन्दा सिंचाई योजना में प्रभावित एवं 2.724 हेक्टेयर भूमि अमीरगंज सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

3- अतः कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर के प्रस्ताव से सहमत होते हुये इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 70/अ-19(3)/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2018 को संशोधित करते हुये महादेव बेन्दा सिंचाई योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले ग्राम मिर्जापुर तहसील आष्टा स्थित निम्नानुसार शासकीय भूमि-

| स.क्र. | ग्राम का नाम | भूमि सर्वे नंबर | कुल रकबा (हेक्टेयर में) | नोईयत             |
|--------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 1      | मिर्जापुर    | 1/1/1क          | 22.800                  | जंगल माल पठार     |
| 2      | —            | 14/1            | 3.655                   | निस्तार           |
| 3      | —            | 14/2/1          | 17.116                  | पठार (उबड़ खाबड़) |
| 4      | —            | 271/1           | 5.221                   | जंगल              |
|        |              | योग             | 48.792                  |                   |

2

पृ० ७०/३-१९(३)/१८/२०१७-१८

तथा अमीरगंज सिचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले ग्राम मिर्जापुर तहसील आष्टा स्थित निम्नानुसार शासकीय भूमि-

| स.क. | ग्राम का नाम | भूमि सर्वे नंबर | कुल रकबा (हेक्टेयर में) | नोईयत             |
|------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 4    | मिर्जापुर    | 14/3            | 2.724                   | पटार (उबड़ खाबड़) |
|      |              | योग             | 2.724                   |                   |

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित भूमि यथावत रखी जाता है।  
4- चूंकि पैरा-1 में वर्णित शासकीय भूमि सनकोटा सिचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी और वर्तमान में सनकोटा सिचाई परियोजना शासन द्वारा निरस्त कर दी गई है इसलिये ग्राम रूपेटा स्थित निम्नानुसार शासकीय भूमि वन विभाग से वापस लेकर पूर्ववत शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये जाते है-

| स.क. | ग्राम का नाम | भूमि सर्वे नंबर | कुल रकबा (हेक्टेयर में) | नोईयत             |
|------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 1    | रूपेटा       | 3/1             | 65.000                  | बड़ा झाड़ का जंगल |
| 2    | ---          | 13              | 50.000                  | बड़ा झाड़ का जंगल |
|      |              | योग             | 115.000                 |                   |

आदेशानुसार शासकीय भू-अभिलेख में प्रविष्टि दुरुस्त की जावे।



678

पृ० ७० /रीडर-२/२०२०  
प्रतिलिपि:-

- 1- रैन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सीहोर।
- 2- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी आष्टा/तहसीलदार आष्टा।  
की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर कमिश्नर  
जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 14/12/2020

अपर कमिश्नर  
जिला सीहोर  
(म.प्र.)